न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 211/2023 निर्णय दिनांक :– 8/5/2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

श्योजी पुत्र रामदियाल जाति धाकड निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री बाबूलाल मीणा **तहसीलदार देवली**

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 787 खसरा नम्बर 11 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 3684/95 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिस पर काफी समय से ही सम्पूर्ण भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से काबिज–काश्त है। वर्तमान में आस–पास के खेत वालो ने प्रार्थी की उक्त भूमि पर मेड डोल को नष्ट कर दी है। प्रार्थी के खेत के पडोसियों ने नाजायत रूप से फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है तथा सीमाज्ञान के चिन्हो को धीरे–धीरे आने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण से प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी की आराजी के पडोसी काश्तकार प्रार्थी की भूमि को अपने खेतो में नही मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थी अपने खेत पर जाते है तो वहां पर सीमा चिन्ह नही मिलते है। वर्तमान में खेत खाली है। इसलिए अभी खेत की पत्थरगढी की जाती है तो आने वाले समय में जब फसल काश्त होगी तो कोई विवाद पैदा नही होगा और प्रार्थीगण मुकदमेबाजी से बच जायेंगे।

प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई। तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारान से सीमा विवाद नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में विरासत नामान्तकरण अवशेष नही है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई । अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में अंकित खाता संख्या 787 खसरा नम्बर 11 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 3684/95 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम पनवाड जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली